जा सकते है तथा मूल दस्तावेजात को प्राप्त करने के प्रयास जारी होना बताया है। इस रिपोर्ट के अवलोकन से ऐसा प्रतीत होता है कि थानाधिकारी कोतवाली द्वारा प्रस्तुत मामले में विधि विज्ञान प्रयोगशाला से असल सहमति पत्र की जांच करवाकर रिपोर्ट पेश करने के तथ्य को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है एवं केवल मात्र औपचारिकता पूर्ण की जा रही है। जबकि वादी जगदीश के बचत खाते के अतिरिक्त उसके पेंशन खाते से भी मूल दस्तावेज जिन पर जगदीश के हस्ताक्षर मौजूद हो, प्राप्त करने के प्रयास किये जा सकते थे जो कि प्रस्तुत मामले में प्राप्त करना दर्शित नहीं हो रहा है ना ही बैंक के पास असल हस्ताक्षरित दस्तावेज मौजूद नहीं के संबंध में कोई पत्र प्राप्त कर न्यायालय में पेश किया गया। अतः न्यायालय थानाधिकारी, कोतवाली को अलग से इस संबंध में पत्र जारी करना उचित पाता है। पत्रावली वास्ते संशोधित शीर्षक एवं जारी करने पत्र दिनांक 31.01.2026 को पेश हो।

30.1.26

अपर जिला न्यायाधीश
क्रम संख्या 2, बून्दी (राज०)

31.1.26 अधिवक्ता पक्षकार उप। संशोधित शीर्षक पेश हुआ। नस्ल रिकार्ड तीन लोहे के एवं एक लोहे के अलमारी पेश। नस्ल मात्र आपत्ति नहीं। केवल सिर्फ जगदीश पत्रावली वास्ते असल सहमति F.S.L रिपोर्ट दि. 03.1.26 को पेश हो।